"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त, 2002—श्रावण 11, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-4/19/2002/29.—मध्यप्रदेश चावल अभिप्राप्ति (उदग्रहण) आदेश, 1970 के खण्ड 3-ख के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि छत्तीसगढ़ के अनुज्ञप्त राइस मिलर राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा धारित धान (पेडी) को निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर चावल में सम्परिवर्तित करेंगे, अर्थात् :—

1. अनुज्ञप्त राइस मिलर को राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा धारित धान को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए मिल की मिलिंग क्षमता का न्यूनतम 40 प्रतिशत चावल में सम्परिवर्तित करना अनिवार्य रहेगा.

2. मिलिंग क्षमता का नियतन या निर्धारण किसी मिल की प्रति घण्टा मिलिंग क्षमता के आधार पर यह मानकर किया जायेगा

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

कि मिल, प्रत्येक कार्य दिवस पर 8 घण्टे की दो पारियों में मास के 25 कार्य दिवसों को चल रही है.

3. इस प्रकार निर्देशित किये जाने पर संबंधित राइस मिलर, धान की मिलिंग के लिए, जिसे इसमें इसके पश्चात् "कस्टम मिलिंग" कहा गया है, राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट एजेंसी के साथ करार निष्पादित करेगा. करार के निबंधन तथा शर्तें निम्नलिखित सिद्धान्तों पर होगी :—

1. राइस मिलर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई वसूली तथा विनिर्देशों के अनुसार कस्टम मिलिंग करेगा, जिसके लिए मिलर को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये गये मिलिंग प्रभारों की दर पर भुगतान किया जायेगा.

2. राइस मिलर का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राज्य सरकार की एजेंसियों के भंडारण केन्द्र से धान उठाये और धान की मिलिंग के पश्चात् उष्णा चावल भारतीय खाद्य निगम (फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) के विनिर्दिष्ट डिपो का चावल का परिदान करे, तथा अरवा चावल छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के विनिर्दिष्ट प्रदाय केन्द्र में परिदान करें, जैसे कि तत्समय आदेशित किया गया हो.

4. राइस मिलर कस्टम मिलिंग के लिए धान अभिप्राप्त करने हेतु ऐसा अग्रिम धन (अर्नेष्ट मनी) तथा प्रतिभूति निक्षेप, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य सरकार की एजेंसियों को देगा.

5. राइस मिलर, एजेंसियों का परिदान आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर राज्य सरकार की एजेंसियों से धान उठायेगा और धान का परिदान लेने की तारीख से अनुबंध में निर्धारित दिवस के भीतर उसकी मिलिंग पूर्ण करेगा.

6. यदि कोई राइस मिलर उपखंड 5 में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर मिलिंग पूर्ण करने में असफल रहता है तो ऐसे अनुपालन के लिए किसी राइस मिलर के विरुद्ध किन्हीं नियमों या करार के अधीन अनुज्ञेय किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राइस मिलर आगामी मास के दौरान किसी प्रकार की मिलिंग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसे संपूर्ण धान की कस्टम मिलिंग पूरी नहीं कर लेता.

7. राइस मिलर, कस्टम मिलिंग हेतु प्राप्त की गई धान (पेडी) के स्टॉक (सम्बद्ध) तथा मिलिंग के पश्चात् अभिप्राप्त किये गये चावल के स्टाक से संबंधित लेखों को धान और चावल के अन्य स्टॉक से पृथक् रखेगा.

8. यह राज्य सरकार की एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि वह उचित औसत गुणवत्ता (फेयर एवरेज क्वालिटी) के विहित किए गए मानक (स्टेंडर्ड) की धान मिलर को उपलब्ध कराये. गुणवत्ता के संबंध में भारतीय खाद्य निगम का विनिश्चय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
-सुब्रत साहू, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2002

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल की श्रृंखला बैठकें बिलासपुर एवं रायपुर में आयोजित करने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2002

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2002.—भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3-5-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

Raipur, the 3rd May 2002

No. F 5-1/Food/2002.—The State Government have permitted to arrange the Circuit sitting of M. P. State Consumer Dispute Redressal Commission at Bilaspur and Raipur.

By order and in the name of the Governor of
Chhattisgarh,
R. C. GUPTA, Under Secretary.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2002

क्रमांक एफ 13-15/खाद्य/2002/29.—राज्य शासन एतद्द्वारा कृषि उपज मंडी, सीतापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की शिकायत की जांच हेतु श्री दुर्गेश मिश्रा (भाप्रसे) संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :—

(1) अतिरिक्त कलेक्टर, जिला सरगुजा (छ. ग.)
(2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा (छ. ग.)
(3) उप संचालक, कृषि, सरगुजा (छ. ग.)
(4) संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

2. यह समिति अपनी जांच रिपोर्ट मत सहित अविलंब शासन को प्रस्तुत करेगी. जांच के बिन्दु अलग से निर्धारित किये जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2002

क्रमांक 969/414/02/11/वा. उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. हसदेव ताप विद्युत गृह क्र. 1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा के बायरल क्रमांक एम पी/3530 तथा एम पी/3555 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से क्रमश: दिनांक 24-2-2002 से 31-5-2002 तक एवं दिनांक 11-5-2002 से 10-6-2002 तक के लिए छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक बाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-16-4-11-वा. उ./2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा म. प्र., लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993, जिसे छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2-1-2002 द्वारा अनुकूलन कर दिनांक 1-11-2000 को प्रवृत्त किया गया है, की धारा (3) में उल्लेखित इण्डस्ट्री फेसीलिटेशन काउंसिल का गठन निम्नानुसार करता है :—

1.	उद्योग आयुक्त	अध्यक्ष
2.	लघु उद्योग विकास बैंक का एक प्रतिनिधि जो उक्त बैंक द्वारा नाम-निर्देशित किया जाय.	सदस्य
3.	भारतीय स्टेट बैंक (राज्य का लीड बैंक) का एक प्रतिनिधि जो उक्त बैंक द्वारा नाम मिर्देशित किया जाय.	सदस्य
4.	देना बैंक (अन्य मुख्य लीड बैंक) का एक प्रतिनिधि जो उक्त बैंक द्वारा नाम-निर्देशित किया जाय.	सदस्य
5.	म. प्र. वित्त निगम का रायपुर में पदस्थ उप मुख्य महाप्रबंधक.	सदस्य
6.	छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ के महासचिव	सदस्य
7.	छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष.	सदस्य
8.	श्री के. के. झा, कन्हैया स्टील इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई.	सदस्य
9.	श्री आर. के. अग्रवाल, सनदी लेखापाल सी-37, सेक्टर-1, समता कालोनी, रायपुर.	सदस्य

10. श्री एन. एम. अग्रवाल, संयुक्त संचालक, उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर. सदस्य सचिव

2. क्रमांक 6, 7, 8 व 9 पर उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने के दिनांक से वर्ष का रहेगा.

3. कोई भी सदस्य काउंसिल के अ को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और तदुपरांत वह काउंसिल का सदस्य नहीं रहेगा.

4. काउंसिल के सदस्यों में होने वाली आकस्मिक रिक्तियां संबंधित नाम-निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्देशन कर भरी जाएगी.

5. क्रमांक 6, 7, 8 व 9 पर उल्लेखित सदस्यों को ऐसा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक फीस संदत्त की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, काउंसिल के सम्मिलनों में उपस्थित होने के लिये अवधारित की जाय.

6. काउंसिल का सम्मिलन एक माह में कम से कम एक बार, अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये समय व स्थान पर होगा.

7. काउंसिल के सम्मिलन में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई सदस्य, काउंसिल के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

8. काउंसिल के सम्मिलन की गणपूर्ति काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी. गणपूर्ति न हो सकने की स्थिति में अध्यक्ष सम्मिलन के लिये नई सूचना जारी करेगा.

9. काउंसिल के सम्मिलनों में समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की वहुसंख्या से विनिश्चत किये जायेंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

10. काउंसिल उक्त अधिनियम में उल्लेखित नियमों के अनुरूप कार्य सम्पादित करेगी.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक एफ-2-1/2002-11-वा. उ.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य में स्थित बीमार एवं बंद उद्योगों के पुनरुत्थान हेतु निम्नानुसार समन्वय समिति का गठन करता है :—

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग. अध्यक्ष
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग सदस्य
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग सदस्य
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग. सदस्य
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण विभाग सदस्य
6. उप-महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर. सदस्य
7. उप-महाप्रबंधक मध्यप्रदेश वित्त निगम, रायपुर. सदस्य
8. अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन, रायपुर. सदस्य
9. अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचाल /, रायपुर. सदस्य सचिव

उपर्युक्तानुसार गठित समिति का कर्त्तव्य निम्नानुसार होगा.

1. प्रदेश में स्थापित बीमार एवं बंद उद्योगों की पहचान करना.
2. प्रदेश में स्थापित बीमार एवं बंद उद्योगों का अध्ययन कर रिलीफ पैकेज तैयार करना.
3. प्रदेश के बीमार/बंद उद्योगों के पुनरुत्थान हेतु नीति निर्धारण करना तथा समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन करना.
4. संबंधित विभागों/संस्थाओं को समय-समय पर आवश्यकतानुसार उचित मार्ग-दर्शन देना.
5. वित्तीय संस्थाओं से लगातार संपर्क रखकर उनका सहयोग प्राप्त करना.
6. औद्योगिक संगठनों के माध्यम से बीमार/बंद उद्योगों के पुनरुत्थान हेतु आवश्यक परिचर्चा, बैठकें एवं सेमीनार आयोजित करना एवं शासन को सुझाव प्रस्तुत करना.
7. समिति की बैठक कम से कम दो माह में एक बार होगी.
8. अध्यक्ष के निर्देशों एवं अनुमति के अनुसार समिति के दायित्व व अन्य बिन्दु जोड़े जा सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग.

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2002

क्रमांक 353/एफ/6/38/2001/वा. कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन द्वारा श्री समुद्रराम सिंह, उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर को अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, आबकारी के पद पर वेतनमान रुपये 14300-400-18300 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाकर अपर आयुक्त आबकारी सह महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. (i) पदोन्नत अपर आयुक्त, आबकारी द्वारा आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर सक्षम अधिकारी को यह विकल्प दिया जाएगा कि :—

(क) उपायुक्त, आबकारी के पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किये बिना सीधे ही मूल नियम 22-डी के अंतर्गत अपर आयुक्त, आबकारी के पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जावे.

अथवा

(ख) अपर आयुक्त, आबकारी के पद पर (पहली बार) उसका वेतन मूल नियम 22-ए (1) में दिये गये तरीके से निर्धारित कर दिया जाय और दूसरी बार उपायुक्त आबकारी के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण किया जाय.

(ii) यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प (ख) अपनाया जाता है तो उसकी आगामी वेतन-वृद्धि दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की तारीख को देय होगी.

3. इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प अपनाने पर अधिकारी को मूल नियम 22-डी (2) के प्रावधानों अनुसार नियम 22 के परन्तुक का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा. एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

4. उक्त पदोन्नतियां प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद पर होने से आरक्षण नियमों के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2001

क्रमांक 5605/1695/21-ब (छ.ग.).—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का संख्या 15) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) श्री एस. एस. लाल, सादूल क्रिसमस चर्च, बिलासपुर के पास्टर को,

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और
(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाइयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 22 October 2001

No. 5605/1695/21-B (Chh.).—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. XV of 1872) the State Government are pleased to grant licence to the (Minister of Religion) Shri S. S. Lal Shadhul Chrismish Church, Bilaspur for Bilaspur of the State of Chhattisgarh.

(1) to solmnize marriages, and
(2) to grant certificates of marriages between the Indian Christian.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. गुरूपंच, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2002

क्रमांक 1395/315/2002/21-ब.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. क्रिष्टोफर पॉल, वेसलियन मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के पास्टर को,

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और
(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाइयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण जिले के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 21st Febr y 2002

No. 1395/315/2002/21-B (Chh.).—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. XV of 1872), the State Government are pleased to grant licence to the Minister of Religion "Reverent Kristopher Paul" Wesleyan Methodist Church, Station Road, Rajnandgaon, Chhattisgarh for the whole State of Chhattisgarh;

(i) to solmnize marriages, and
(ii) to grant certificates of marriages between the Indian Christian.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2002

क्रमांक 2671/2628/2001/21-ब(छ.ग.).—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का संख्या 15) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) श्री एस. के. बघेल, नव प्रेरित चर्च, बिलासपुर के पादरी को,

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और
(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाइयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ राज्य, बिलासपुर जिले के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 10th April 2002

No. 2671/2628/2001/21-B (Chh.).—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. XV of 1872) the State Government are pleased to grant licence to the Minister of Religion Shri S. K. Baghel, New Apostdlic Church, Biaspur for Bilaspur District of the State as Chhattisgarh,

(1) to solmnixe marriages, and
(2) to grant certificates of marriages between the Indian Christian.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक 2381/डी-454/21-ब (छ. ग.).—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 है.

   (दो) यह एक नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में, विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण नियम, 1984.

Raipur, the 27th March 2002

No. 2381/D-454/21-B/(C.G.).—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the adaptation order, 2002.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time specified in the Schedule to this Order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh hereby are extended and shall be in the force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification and that in the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rules, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Hindu Marriage Registration Rules, 1984.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3036/869/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ए. एम. राबड़ा को 27-4-2002 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये रायगढ़ सत्र खण्ड के रायगढ़ राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3038/868/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद मौर्य, प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायगढ़ को दिनांक 1-3-2002 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये रायगढ़ सत्र खण्ड के रायगढ़ राजस्व जिले के लिये प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3040/869/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. लक्ष्मी शर्मा को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए रायगढ़ सत्र खण्ड के रायगढ़ राजस्व जिले के लिये द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3042/869/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पी. के. पटेल, अधिवक्ता रायगढ़ को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ में अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82//सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	माल्दा प.ह.नं. 31	1.436	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सोडेकेला जलाशय के स्पील चैनल निर्माण बाबत् भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82//सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बनोरा तथा बेलरिया प. ह. नं. 20	0.889	अनुविभागीय अधिकारी, लो. नि. वि. सेतु निर्माण, रायगढ़.	बेनोरा, खैरपाली, बेलरिया मार्ग के 3/2 पर छोटी केलो सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक 08/अ-82//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अमसेना	0.242	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक 09/अ-82// 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	दवेना	0.178	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बहतराई जलाशय नहर निर्माण हेतु.

[illegible] का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक10/अ-82// 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	उड़ेला	0.101	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक 11/अ-82//सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बेलमुंडी	0.194	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक12/अ-82// 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सैदा	0.388	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक 13/अ-82// 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	कोपरा	0.344	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक 14/अ-82// 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	कबराकापा	0.376	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक 15/अ-82// 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सैदा	20.020	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक 16/अ-82// 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त ध.रा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	उड़ेला	0.068	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक 17/अ-82 / 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बहतराई	6.906	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोपरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2002

प्र. क्र. 48/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	मालाडांड़	18.627	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	काशीनाला जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 4 जून 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा प. ह. नं. 4	0.101	हसदेव बैराज जल प्रबंध संभाग रामपुर, कोरबा.	बांयी तट नहर के अंतर्गत बोल्डर पीचिंग एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 4 जून 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा प. ह. नं. 4	0.182	हसदेव बैराज जल प्रबंध संभाग रामपुर, कोरबा.	बांयी तट नहर के अतिरिक्त भूमि नहर निर्माण एवं बोल्डर पीचिंग.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 11 जून 2002

क्रमांक 62/क/अ-82/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	पंडरिया	सेमरकोना प. ह. नं. 23	10.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हेम्प दांयी तट नहर योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 11 जून 2002

क्रमांक 65/क/अ-82/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	पंडरिया	नीगापुर प. ह. नं. 23	7.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)	हेम्प दायी तट, मुख्य नहर योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. केहरि, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक वा-1/अविअ/भू-अर्जन अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	परतेवा	0.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	सरसाबांधा श्यामनगर माइनर नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	खम्हरिया प.ह.नं. 16/66	0.053	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रं.-2, रायपुर.	खम्हरिया से चिचोली मार्ग.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 2-अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	भवानीपुर प. ह. नं. 124	0.675	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रं.-2, रायपुर.	भवानीपुर से रींवाडीह मार्ग.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/3-अ/82/2001-2002..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	रींवाडीह प.ह.नं. 124	0.74	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रं.-2, रायपुर.	भवानीपुर से रींवाडीह मार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2002

क्रमांक 13/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	गांगपुर प.ह.नं. 25	28.54	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भुरकी जलाशय निर्माण में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2002

क्रमांक 14/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	गांगपुर प.ह.नं. 24	0.43	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	गांगपुर माइनर में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2002

क्रमांक 15/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	भुरकी प.ह.नं. 25	11.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भुरकी जलाशय, के निर्माण में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2002

क्रमांक 16/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	सिंघौरी प.ह.नं. 26	3.675	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	खिलौरा जलाशय डूबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2002

क्रमांक 17/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	केवांछी प. ह. नं. 14	1.93	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	करूवा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत झाल माइनर निर्माण में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2002

क्रमांक 18/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	केंवाछी प. ह. नं. 14	3.71	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सिंगपुर माइनर में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2002

क्रमांक प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होने/उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	गाड़ाभाठा प.ह.नं. 23	3.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत गाड़ाभाठा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2002

क्रमांक प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नही होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होने/उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	सिंघनपुरी प. ह. नं. 24	1.34	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत भरदा माइनर निर्माण..

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2002

क्रमांक प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होने/उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	देऊरगांव प. ह. नं. 24	2.29	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत भरदा माइनर निर्माण..

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2002

क्रमांक प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होने/उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	मौहाभाठा प. ह. नं. 24	1.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत गाड़ाभाठा माइनर नहर निर्माण..

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा , दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक क/18/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	बीजापुर	मददेड़	0.028	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	संगमपल्ली नहर निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा , दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक क/19/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंधब में लागू नहीं होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	बीजापुर	पापनपाल	31.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	पापनपाल तालाब निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 जुलाई 2002

क्रमांक 5868/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

राज्य में विपूल मात्रा में धान उत्पादन होने के फलस्वरूप उसके भंडारण की विकट समस्या शासन के समक्ष दृष्टिगोचर हो रही है. यदि उक्त धान की रख-रखाव हेतु तत्काल कोई व्यवस्था नहीं की जाती तो करोड़ों रुपयों की क्षति शासन को होगी. लिहाजा धान की रख-रखाव हेतु प्रश्नाधीन भूमि पर गोदाम का निर्माण राष्ट्रहित में तत्काल आवश्यक/अनिवार्य है.

अतः राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में भू-अर्जन अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	नंदई प. ह. नं. 35/1	6.03	प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर.	खाद्य गोदाम राष्ट्रहित में भारतीय खाद्य निगम के अनुबंध के तहत 5000 मे. टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2002

क्रमांक 5765/मा.चि./2001.—म. प्र. गौण खनिज नियमावली, 1996 के नियम 12 अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिये भट्टी में डालकर उपभोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर उत्खनि पट्टे पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेधारी का नाम	ग्राम का नाम प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्रीमति मंजू अरोरा सा.-राजनांदगांव.	पचपेड़ी प.ह.नं. 11	खैरागढ़	96 भाग	0-74 एकड़	चूना पत्थर	भूमि स्वामी	अवधि समाप्त होने के कारण.
2.	मे. एस. के. अग्रवाल प्रो. सुनीता देवी अग्रवाल	मुढ़ीपार प.ह.नं. 17	राजनांदगांव	226 भाग	4-50 एकड़	—"—	शासकीय भूमि	—"—
3.	संतोष स्टोन क्रेशर उद्योग प्रो.-संतोष कुमार अग्रवाल सा.-राजनांदगांव.	देवडोंगर प.ह.नं. 11	राजनांदगांव	341	0-90 एकड़	—"—	—"—	—"—
4.	श्री रमेश कुमार लोहाणी सा.-दुर्ग.	मुढ़ीपार प.ह.नं. 17	राजनांदगांव	226 भाग	3-00 एकड़	—"—	—"—	—"—

दिनेश कुमार,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2002

क्रमांक क/ख. लि./2002.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनि रियायत नियमावली, 1960 के नियम 59 के अंतर्गत रायपुर जिला के ग्राम खौना व अमली तालाब के रकबा 23.40 एकड़ क्षेत्र राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन (तीस दिन) के पश्चात् चूना पत्थर मिनरल्स हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनि पट्टा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. खनि पट्टा हेतु वही आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य रहेगा, जिस आवेदन-पत्र के साथ आवेदित क्षेत्र का पूर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जावेगा.

जिला	तहसील	क्षेत्र का विवरण एवं प. ह. नं.	क्षेत्रफल		अन्य विवरण
			खसरा नं.	रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
रायपुर	तिल्दा	खौना, अमलीतालाब 31	303/1 टु. 140/1 टु.	23.40	श्री विमल चंद जैन को, स्वीकृत खनि पट्टा निरस्त होने से क्षेत्र खुला घोषित किया जा रहा है.

अमिताभ जैन,
कलेक्टर.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2002

क्रमांक क/ख. लि./2002/493.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली, 1996 के नियम 12 के अंतर्गत चूना पत्थर खनिज के लिए सूची में दर्शायेनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिए उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र चूना पत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृत कर विचार किया जावेगा.

स.क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	तहसील	खसरा नबंर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	धनसुली	79	आरंग	746, 747, 748	2-90 एकड़ (निजी भूमि)	श्री अशीष शर्मा वल्द बी. पी. शर्मा के नाम से चूना पत्थर उतखनि पट्टा दिनांक 9-9-91 से 8-9-2001 तक स्वीकृत रहा. लीज अवधि समाप्त होने पर स्वमेव निरस्त हो गया.

जे. मिंज,
अपर कलेक्टर.